



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 726 राँची, बुधवार

8 आश्विन, 1937 (श०)

30 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2015

संख्या-2/न.वि./ Ranchi (Sewerage)-08/13-3468--राँची शहर के सिवरेज-ड्रेनेज योजनान्तर्गत Zone - II, III एवं IV के ससमय कार्यान्वयन हेतु JUIDCO (Jharkhand Urban Infrastructure Development Company Ltd.) को Project Implementation Agency (PIA) घोषित किया जाता है।

2. इस योजना के ससमय कार्यान्वयन हेतु JUIDCO Ltd. के द्वारा Project Implementation Agency (PIA) का गठन किया जायेगा। JUIDCO Ltd. के द्वारा गठित की जानेवाली PIU में Specialist, Experts आदि का चयन, विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा। PIU से संबंधित मद में होनेवाली व्यय का वित्तपोषण JICA के द्वारा किया जायेगा।

3. राँची सिवरेज-ड्रेनेज योजना के शुरूआती चरण में Zone - II को कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि यह अन्य Zone (Zone- III & IV) की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तृत है एवं राँची शहर के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है ।
4. JUIDCO Ltd. अन्तर्गत गठित PIU के द्वारा राँची नगर निगम को सिवरेज-ड्रेनेज योजना के Zone-I के ससमय कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
5. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।
